

निगरानी/2018/क्रमा/भृष्ट

संघीय राज्य मठल म०प० ग्रामिय तर्फिट कोटि रीवा



ग्रामिय क्रमा के शब्द परिवर्तन
तात्पुरता का 29.5.18
मा 3

रामनिवास पटेल

राममाधौ पटेल

रामदिनेश पटेल

तीनों के पिता श्री रामयतन पटेल निवासी ग्राम नंदनपुर तहसील
मऊगंज जिला रीवा म०प० निगरानीकर्ता गण

बनाम

- 1- पुष्पा देवी पत्नी वंश्वाहादुर
- 2- श्री मती छा देवी पत्नी रमेश कुमार पटेल
- 3- साधूलाल तनय प्रथम प्रसाद
- 4- छोटेलाल तनय प्रथम प्रसाद
- 5- इन्द्रजीत तनय इन्द्रजीत पटेल

सभी निवासी ग्राम नंदनपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा म०प०
.... गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विस्तृत आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा
तंचाग रीवा पुकरा क्रमांक 2। निगरानी/ 05-06
मेर पारित आदेश। दिनांक 6.7.2018 निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 म०प० मूल राज्य संविता वर्ष

1959 है


मान्यता, निगरानी के आधार निम्नलिखित है

- 1- यह कि अदालत मातवत का आदेश खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं सहादत
के होने से कानून निरुत्तरी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश न्यायालय
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निरा ५२६३/१८/भू-रा जिला-रीवा

शमालीवास पट्टल विरुद्ध पुष्पा द्वी वग़रा

(1)	(2)	(3)
16.1.19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री वीरन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक २१/निरा/२०८५-८६ में पारित आदेश दिनांक ०६.०७.१८ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक २९.०८.१८ प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p>	<p>सदस्य</p> 

के होने से कानूनी निरुत्तमी है।

